उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्प लाइन नम्बर 18008909715
कार्यालय, फील्ड डायरेक्टर, कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, रामनगर (नैनीताल)
टेलीफोन नं0– 05947–253977, फैक्स नं0– 05947–251012, ई–मेल– dirctr@yahoo.in

पत्रांक 2430/ 15-1 दिनांक, रामनगर, 23/4/2026

।। कार्यालय आदेश ।।

नेचर गाईडों हेतु पूर्व में निर्धारित किये गये पर्यटक मार्गदर्शक शुल्क को 2 वर्ष से अधिक का समय पूर्ण होने के उपरान्त एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दर में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कार्बेट टाइगर रिजर्व में प्रत्येक पाली हेतु नेचर गाईड का पर्यटक मार्गदर्शक शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया जाता हैं :–

क्र0 सं.	पर्यटन क्षेत्र	नेचर गाइड हेतु पर्यटक मार्गदर्शक शुल्क प्रति पाली (रू0 में)	ढिकाला कैन्टर (अधिकतम 8 घंटे) नेचर गाइड हेतु प्रति पाली (रू0 में)
1.	प्रत्येक पर्यटन क्षेत्र में प्रातः/ सांय की पाली में	1000.00	1250.00

उक्त आदेश इस कार्यालय के पूर्ववर्ती आदेश सं0–2344/15–1(1) दिनांक 12 मार्च, 2024 को अतिक्रमित करते हुए जारी किये जा रहे हैं तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होंगेः–

1. कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1638/15–1 दिनांक 02.12.2013 द्वारा निर्गत नेचर गार्डडों पंजीकरण हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह दरें कार्बेट टाइगर रिजर्व हेतु पंजीकृत नेचर गाईडों के लिए मान्य होंगी।
3. पंजीकृत नेचर गाईडों को निर्धारित वर्दी में तथा परिचय पत्र के साथ रोस्टर एवं समयानुसार कार्य पर उपस्थित होना अपेक्षित होगा तथा समय समय पर जारी समस्त शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।
4. जो नेचर गाइड रात्रि स्थगन हेतु प्रवेश गेट से पर्यटकों के साथ जाते हैं। वह अगर अगले दिन दोपहर 12:00 बजे के बाद प्रवेश गेट से बाहर आते हैं, तो उन्हें रू0 250/– अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
5. यह दरें आदेश जारी होने के दिनांक से वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 (दो वर्ष) हेतु लागू रहेंगी।
6. नेचर गाईडों को देय भुगतान सीधे पर्यटकों द्वारा किया जाएगा।

(डॉ साकेत बडोला)
फील्ड डायरेक्टर
कार्बेट टाइगर रिजर्व,
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक 24030/15-1 उक्तदिनांकित। 23/4/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, तथा शिविर कार्यालय देहरादून।
2. उप निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल)।
3. उप वन संरक्षक, कालागढ वन प्रभाग, लैन्सडौन (पौडी गढवाल)।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, बिजरानी/कालागढ़ उप प्रभाग।
5. वन क्षेत्राधिकारी, बिजरानी, ढेला, कालागढ़, झिरना, ढिकाला एवं सर्पदुली।
6. स्वागती रामनगर, आमडंडा, धनगढी, बिजरानी, ढेला व ढिकाला।
7. वन क्षेत्राधिकारी, ईको टूरिज्म यूनिट को गार्ड बुक में सुरक्षित रखने हेतु।
8. विभागीय वेबसाईट हेतु।

(डॉ साकेत बडोला)
फील्ड डायरेक्टर
कार्बेट टाइगर रिजर्व,
रामनगर (नैनीताल)।